न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 62/2023

श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।

बनाम

1. **श्री महेश कुमार पुत्र श्री हरीराम केडिया, मैसर्स मदनलाल हरीराम, मैन मार्केट गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू।**
2. **श्री चेतन लोकनाथका पुत्र श्री मालीराम लोकनाथका, मैसर्स लोक एग्रो, जी–290, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, पलसाना, जिला सीकर।**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

उपस्थितिः–
1. आवेदक की ओर से ....आवेदक स्वयं।
2. अनावेदक की ओर से ....अनावेदक स्वयं।

–निर्णय– **दिनांक :** 16/8/24

श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू ने एक प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो सक्षेंप में निम्न प्रकार हैः– कि आवेदक श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू में कार्यरत है। आवेदक को राज्य सरकार द्वारा बतौर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला झुन्झुनू का समस्त क्षेत्र आंवटित हुआ है। आवेदक द्वारा अपना कर्तव्य पालन करते हुए दिनांक 14.02.2023 को मैसर्स मदनलाल हरीराम मैन मार्केट, गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण दुकान पर अनावेदक श्री महेश कुमार पुत्र श्री हरीराम केडिया उपस्थित मिला जिसने स्वयं को दुकान का विक्रेता होना जाहिर किया। जिस पर अनावेदक से खाद्य पदार्थ लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया तो अनोवदक ने खाद्य सुरक्षा लाईसेंस होना जाहिर किया।

निरीक्षण के दौरान विक्रेता की दुकान पर एक रैंक में 30 बोतल 200 एमएल पैकिंग में पैक सरसों तेल(लोक) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य प्रदार्थ सरसों तेल(लोक) में से सैम्पल लिया गया। सैम्पल को जांच हेतु भिजवाया जाने की प्रक्रिया पूरी कर सैम्पलो पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर अनावेदक व गवाहन को पढकर सुनाया तथा समझाया जाकर फर्द पर अनावेदक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद पैक सैम्पल को खाद्य विश्लेषक जयपुर को भिजवाया गया। खाद्य [illegible] की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ सरसों तेल(लोक) के मिसब्रान्ड फूड (Misbranded Food) under section 3(1)(zf)(c)(i)) आने पर प्रार्थना पत्र तैयार कर सैम्पल लेते समय की गई समस्त कार्यवाही के दस्तावेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.09.06 14:31:44 IST
Reason: SelfAttested

तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न कर प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक को प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि सहित तलबी जारी की गई। जिस पर अनावेदक ने स्वयं उपस्थित होकर अपना लिखित जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रार्थना पत्र में बहस अन्तिम सुनी गई।

अनावेदक/अभियुक्त संख्या 1 का कथन है कि उसकी मैन मार्केट गुढागौडजी, जिला झुन्झुनू में मैसर्स मदनलाल हरीराम के नाम से दुकान है। उसकी दुकान से खाद्य पदार्थ सरसों तेल(लोक) का सैम्पल लिया गया था जो मिसब्रान्ड फूड (Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i)) पाया गया है। अनावेदक ने निवेदन किया कि उसकी दुकान से जो सैम्पल लिया गया था वह खाद्य पदार्थ उसने अनावेदक संख्या 2 मैसर्स लोक एग्रो से जरिये पक्के बिल खरीदा था। अतः खाद्य पदार्थ के मिसब्रान्ड पाये जाने की जिम्मेदारी अनोदक संख्या 2 की है। वह अपनी दुकान में साफ–सफाई का ध्यान रखेगा। अतः उसके विरूद्ध प्रकरण को खारिज किया जाये।

अनावेदक संख्या 2 का कथन है कि मैसर्स मदनलाल हरीराम, मैन मार्केट गुढागौड़जी, झुन्झुनू से खाद्य पदार्थ सरसों तेल का सैम्पल लिया गया था जो कि मिसब्रान्ड फूड पाया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ अनावेदक संख्या 1 को जरिये पक्के बिल बेचान किया गया था। उक्त खाद्य पदार्थ में कोई कमी नही पाई गई है। वर्कर्स की गलती से लेबलिंग के समय एक्सपायरी डेट अंकित नही की गई है। वह भविष्य में ऐसी गलती नही करेगा तथा अपनी दुकान में साफ–सफाई रखेगा। अतः उसके विरूद्ध प्रकरण को खारिज किया जाये।

मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं० **एल.एस./3849/एक्ट/2023/3997 दिनांक 27.09.2023** के अनुसार खाद्य पदार्थ सरसों तेल(लोक) मिसब्रान्ड फूड (Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i)) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक संख्या 1 ने अनावेदक संख्या 2 से उक्त खाद्य पदार्थ की खरीद के पक्के बिल प्रस्तुत किये है। लेकिन उक्त खाद्य पदार्थ कोई जाना माना ब्रान्ड नही है, तथा अनावेदक संख्या 1 भी अनावेदक संख्या 2 के उक्त खाद्य पदार्थ से होने वाले लाभ में [illegible] है। अतः अनावेदक संख्या 1 को निर्दोष नही माना जा सकता है। अतः प्रकरण [illegible] पदार्थ सरसों तेल(लोक) मिसब्रान्ड फूड (Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i)) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अनावेदक संख्या 1 श्री महेश कुमार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.09.06 11:31:44 IST
Reason: SelfAttested

पुत्र श्री हरीराम केडिया, मैसर्स मदनलाल हरीराम, मैन मार्केट, गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को दोषी मानकर प्रकरण में 5,000/—अक्षरे पांच हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। इसी प्रकरण में चुंकि अनावेदक संख्या 2 मूल उत्पादक फर्म है। स्वयं उक्त खाद्य पदार्थ को तैयार कर बेचान करता है तथा अनावेदक संख्या 1 को भी उक्त खाद्य पदार्थ जरिये पक्के बिल बेचान किया था। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ सरसों तेल(लोक) मिसब्रान्ड फूड (Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i)) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री चेतन लोकनाथका पुत्र श्री मालीराम लोकनाथका, मैसर्स लोक एग्रो, जी—269, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, पलसाना, जिला सीकर को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को दोषी मानकर प्रकरण में 50,000/—अक्षरे पचास हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/8/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.09.06 11:31:44 IST
Reason: SelfAttested